रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 220] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 1971/अग्रहायण 27, 1893
No. 220] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 1971/AGRAHAYANA 27, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th December 1971

SUBJECT:—*Import of capital goods—Flexibility allowed for import of items not covered by the import licence.*

No. 177-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the provisions contained in Chapter VI of the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1971 regarding grant of licences for import of capital goods by the actual users in the large as well as small scale sector.

2. In order to speed up the implementation of industrial projects, it has been decided to allow flexibility to the importers of capital goods in regard to the equipment to be imported within the overall value of the capital goods import licence obtained by them. Under this flexibility the holders of capital goods import licences will be permitted to import items of capital goods which are not covered by the existing import licence/list of goods attached to the licence and the import of which is not otherwise banned in terms of import policy for April 1971—March, 1972, upto a limit of 5 per cent within the overall value of the licence. The holders of capital goods licence desirous to avail of this facility are advised to approach the licensing authorities

for endorsement of the supplementary list of items which they would like to import within the overall value of the capital goods import licence held by them. The licensing authorities while endorsing the supplementary list of goods to be attached to the import licence without a reference to the DGTD/Capital Goods Committee will indicate the items to be deleted/amended in the existing list of goods so that the total import remains within the overall value of import licence.

3. The facility provided under this Public Notice would be available to all holders of valid capital goods import licences with immediate effect.

4. The supplementary list of items to be imported under this facility will only consist of items of capital goods, equipments and accessories which are permissible in terms of the import policy and are essentially required for the implementation of the project and shall not include import of raw materials etc.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर 1971

विषय :—पूंजीगत माल का आयात—आयात लाइसेंस के अन्तर्गत नहीं आनेवाली मदों के लिए नमनीयता की स्वीकृति देना ।

संख्या 177 आई० टी० सी० (पी० एम०)/71.—आयात व्यापार नियंत्रण हैंडबुक-प्रक्रिया 1971 को अध्याय 6 में बृहत् और साथ ही साथ लघु पैमाने उद्योगों के वास्तविक उपयोक्ता द्वारा पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंस दिए जाने के सम्बन्ध में दी गई व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. औद्योगिक परियोजनाओं को शीघ्रता से लागू करने के विचार से यह निश्चय किया गया है कि उनके द्वारा प्राप्त किए गए पूंजीगत माल आयात लाइसेंस के कुल मूल्य के भीतर आयात किए जाने वाले उपस्करों के सम्बन्ध में पूंजीगत की नमनीयता की स्वीकृति दी जाय । इस दी जाने वाली नमनीयता के अन्तर्गत पूंजीगत आयात लाइसेंस के धारकों को यह स्वीकृति दी जाएगी कि वे उन पूंजीगत माल का आयात लाइसेंस के कुल मूल्य के भीतर 5 प्रतिशत की सीमा तक करें जो वर्तमान आयात लाइसस / लाइसेंस के साथ सम्बन्ध माल की सूची के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जिनका आयात आयात नीति अप्रैल, 1971 मार्च, 1972 की शर्तों के अनुसार अन्यथारुप से प्रतिबन्धित नहीं है । पूंजीगत माल लाइसेंस के उन धारकों को जो इस सुविधा को उपलब्ध करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उन मदों की पूरक सूची का प्रष्ठांकन कराने के लिए जिनका वे उनके द्वारा प्राप्त किए गए पूंजीगत माल आयात लाइसेंस के कुल मूल्य के भीतर आयात करना चाहते हैं, लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क करें । महानिदेशक, तकनीकी विकास / पूंजीगत माल समिति का संदर्भ दिए बिना ही आयात लाइसेंस के साथ सम्बन्ध की जान वाली पूंजीगत माल की पूरक सूची को पृष्ठांकित करते समय लाइसेंस प्राधिकारी माल की वर्तमान सूची में निकाली जाने वाली / संशोधित की जाने वाल मदों का संकेत करेंगे ताकि कुल आयात लाइसेंस आयात, के कुल मूल्य के भीतर ही रहे ।

3. इस सार्वजनिक सूचना में दी गई सुविधाएं सभी वैध पूंजीगत माल आयात लाइसेंसों के धारकों को तत्काल ही उपलब्ध करायी जाएंगी ।

4. इस सुविधा के अन्तर्गत आयात की जाने वाली मदों की पूरक सूची में केवल पूंजीगत माल, उपस्करों और उपसाधनों की वे ही मदें शामिल होंगी जो आयात नीति की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य हैं और परियोजनाओं को कार्यरूप देने के लिए अपेक्षित है और इसमें कच्चे माल आदि का आयात शामिल नहीं होगा ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971